"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2016— कार्तिक 27, शक 1938

विशेष न्यायिक जांच आयोग
जिला जांजगीर-चांपा

(ग्राम मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में घटित घटना के जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

अधिसूचना
[अंतर्गत नियम 5 (2) (ख) कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केन्द्रीय) नियम, 1972]

क्रमांक -1/ग्राम मुलमुला की घटना के संबंध में कमीशन/2016.— छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3-12/2016/एफ-7, नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 द्वारा ग्राम मुलमुला, से संबंधित घटना के संबंध में विशेष जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर) की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच) आयोग का गठन किया गया है, जिसके जांच के विषय निम्न हैं :-

1. दिनांक 17-09-2016 को पुलिस थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में मृतक सतीश नोरंगे की मृत्यु कैसे हुई थी ?

2. वह कौन सी परिस्थितियां थी अथवा कौन से कारण थे, जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई ?

3. उक्त घटना हेतु कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

4. भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु क्या उपाय हैं ?

5. अन्य कोई बिन्दु जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहें.

अत: एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जो उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी रखते हैं, वे कार्यालयीन अवधि में आयोग कार्यालय, जांजगीर-चांपा में जानकारी लिखित में, शपथ-पत्र में अपने पहचान से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की

स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में, हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा से भिन्न होने की दशा में ऐसी जानकारी का हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद सहित प्रस्तुत करें.

यदि कोई व्यक्ति घटना संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी की साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का इच्छुक हो तो, वे विषय-वस्तु एवं पूर्ण पता सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं, जांच आयोग द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है.

सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है.

हस्ता./-
(डी. के. सिंह)
सचिव,
विशेष न्यायिक जांच आयोग.

प्रक्रिया विनियम

1. आयोग की कार्यवाही सारभूत रूप से हिन्दी में होगी, पर कार्यवाही का कोई अंश आयोग के अध्यक्ष के आदेश/निर्देश से अंग्रेजी में भी किये जा सकेंगे.

2. आयोग का मुख्यालय जांजगीर-चांपा एवं कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कक्ष है, जिसका कक्ष क्रमांक 26 है, जो भू-तल पर ही स्थित है.

3. आयोग का कार्यालय प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के सिवाय सभी कार्य दिवसों में प्रात: 10.30 बजे से 1.30 एवं 2.00 से 5.00 बजे तक खुला रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी आयोग का कार्यालय खुला रह सकेगा,

4. सामान्यत: आयोग अपनी बैठकें जांजगीर-चांपा मुख्यालय स्थित कार्यालय में करेगा, परन्तु आवश्यकतानुसार बैठकें राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी समय, तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर की जा सकेगी.

5. चूंकि जांच का विषय लोक महत्व का है, अत: आयोग की कार्यवाही जन सामान्य के लिए खुली रहेगी, जब तक सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी को आयोग के अध्यक्ष "कैमरा प्रोसिडिंग" में करना उचित न समझें,

6. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र अथवा आयोग के निर्देश/मांग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र, विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पर तैयार, शपथ-पत्र ही आयोग में मान्य होंगे. शपथ-पत्र, समस्त जानकारी एवं दस्तावेजों की अपेक्षित प्रतियों सहित जानकारी आयोग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सचिव श्री डी. के. सिंह अतिरिक्त जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय, जांजगीर चांपा/सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे. प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथ-पत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे.

7. अपेक्षित जानकारी शपथ-पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकेंगे, पर पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि शपथ पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं. अपूर्ण पते वाले डाक आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे.

8. शपथ-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं, अन्य किसी भाषा में होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद नोटरी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न होने की दशा में ही आयोग द्वारा स्वीकार योग्य होंगे.

9. जानकारी के प्रत्येक शीर्ष के लिये पृथक शपथ-पत्र ही स्वीकार्य होंगे, यदि एक शपथ पत्र में एक से अधिक जानकारी दी जाती है तो आयोग एक से अधिक जानकारी की दशा में किसी एक जानकारी के संबंध में संज्ञान ले सकेगा.

10. प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कंडिकाओं में क्रमवार विभक्त होंगे, प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के तथ्य को अलग-अलग कंडिकाओं में लिखा जायेगा. शपथ-पत्र में शपथकर्ता के द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा.

11. शपथ-पत्र का कोई अंश प्राप्त जानकारी पर होने की दशा में जानकारी का पूर्ण स्त्रोत शपथ-पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा. शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि, किन कंडिकाओं की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं की है और किन कंडिकाओं की जानकारी उसे किन स्त्रोतों से कब प्राप्त हुई है, जिन्हें वह विश्वास करता है या सत्य समझता है.

12. शपथकर्ता अपने शपथ-पत्र में यह भी उल्लेख करेगा कि, वह अपने शपथ-पत्र के समर्थन में अपना कथन कराना चाहता है एवं क्या उसका शपथ-पत्र ऐसे मौखिक परीक्षण के लिये पर्याप्त नहीं होगा.

13. शपथ-पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार शपथ-पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सके.

14. शपथ-पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय ऐसे शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति को साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी. यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के अधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता/कार्यालय एवं अधिकारी का नाम/पते का उल्लेख करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में है और किस हैसियत से है.

15. कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केन्द्रीय) नियम 1972 के नियम 5 में जारी सूचना की प्रतिउत्तर में दिये गये कथनों की जांच पर आवश्यक पाने पर आयोग ऐसे शपथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण, प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकेगा एवं उसके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के प्रकाश में उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा.

16. साक्ष्य के क्रम में सर्व प्रथम नियम 5 (2) (ए एवं बी) के अंतर्गत प्राप्त कथनों के संबंध में साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जावेगा, ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात् केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों का कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे.

17. आयोग उन सभी व्यक्तियों का, जिनके द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, के कथन/परीक्षण के लिये बाध्य नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने को कोई अधिकार नहीं होगा.

18. जिन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा, उनके साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होंगे, अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी.

19. आयोग स्वविवेकानुसार किसी व्यक्ति को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहुत करने से इंकार कर सकेगा या उन्हें आहुत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ-पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकेगा.

20. आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत, विलंब अथवा तंग करने के प्रयोजन से हो, अभिलिखित कराने से इंकार कर सकेगा.

21. पृथक आरोपों/बिंदुओं पर परीक्षण एवं विचार सुविधाजनक समूहों पर पृथक-पृथक किया जावेगा.

22. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पीटीशन शपथ-पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा, जो कि आयोग के अनुसार असंगत, असंबद्ध, अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आक्रामक, फूहड़ या लोक निंदनीय हो.

23. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे. इसी तरह शासकीय विभाग, विधिक निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल है, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियासत हेतु वैध दावा न हो ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित करना न चाहे.

24. नियम 4(2) तथा (6) जांच आयोग नियम, 1972 के अतंर्गत सचिव/अति. सचिव आयोग को संमंस, सूचना पत्र आदि के हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है.

25. आयोग प्रक्रिया विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेगा और किसी अंश को हटा सकेगा.

//शपथ–पत्र का प्रारूप//

घटना जांच हेतु घठित विशेष न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय जांजगीर चांपा एवं कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।

समक्ष पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान ——————

शपथकर्ता का विवरण :——————
नाम :——————
पिता/पति का नाम :——————
उम्र :——————
व्यवसाय :——————
निवास स्थान(पूर्ण पता) :——————
थाना क्षेत्र :——————
तहसील क्षेत्र :——————
जिला :——————
राज्य :——————

//शपथ पत्र//

मैं —————— पिता/पति ——————उम्र ——वर्ष व्यवसाय —————— निवासी ——————शपथपूर्वक निम्नाकिंत कथन करता/करती हूँ।

1— यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता, दिनांक —————— को घटना के समय —— स्थान पर स्वंय उपस्थित था/थी एवं मेरे समक्ष :—

1— ——————
2— ——————
3— ——————

घटना हुई,जिसका स्वंय चक्षुदर्शी हूँ।

या

मुझे इस घटना के संबंध में निम्न जानकारी :—

1— ——————
2— ——————
3— ——————

——————स्त्रोत से प्राप्त हुई है, जिस पर विश्वास करता हूँ/करती हूँ। सत्य मानता हूँ/मानती हूँ।

मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूल प्रति अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रही हूँ एवं आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

//सत्यापन//

मैं ——————शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूँ/करती हूँ कि कंडिका 01 से ———तक की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका ——— से ————की जानकारी ——————स्त्रोत से प्राप्त ज्ञान, जिसे मैं सत्य मानता हूँ/मानती हूँ और विश्वास करता हूँ/करती हूँ से सत्य है ।

अतः आज दिनांक ——————को स्थान —————में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/अंगूठा निशान लगाया /लगाई ।

स्थान :— ——————
दिनांक :— —————

शपथकर्ता/शपथकर्ती

नोट :—

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समक्ष जानकारी शपथ—पत्र द्वारा ही प्रदान करें।
2. शपथ—पत्र की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्त्रोत से प्राप्त ज्ञान में है, उन्हें पूर्णता स्पष्ट लिखते हुये जानकारी दें।
3. अपने पहचान के लिये शपथकर्ता, शपथ पत्र पर अद्यतन स्वयं के फोटो चिपकाकर सक्षक अधिकारी/प्राधिकारी/पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यापालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें।
4. अपने पहचान स्थापित करने के लिये शपथकर्ता निम्न दस्तावेज :—
   i. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र.
   ii. राशन कार्ड.
   iii. स्थानीय मतदाता सूची, जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो.
   iv. स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित/पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं
      i. सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र
      ii. किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान एवं तिथि सुस्पष्ट लिखे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.